राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांक:— एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2017/125256 दिनांक:-20/2/2018

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषय:–गतिमान यान में मृत्यु होने पर रजिस्ट्रीकरण के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधिकाशं जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा निदेशालय से गतिमान यान में मृत्यु होने पर रजिस्ट्रीकरण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है, जबकि इस संबंध में पूर्व में भी समय–समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। अतः ऐसे प्रकरण का निस्तारण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 6 के प्रावधान अनुसार **"यदि किसी गतिमान यान में जन्म या मृत्यु होती है तो उसकी बाबत धारा 8 की उपधारा (1)के अधीन दी जाने वाली इत्तिला यान का प्रभारी व्यक्ति प्रथम विराम स्थान पर देगा या दिलवायेगा। यदि गतिमान यान का प्रभारी, यान में हुई मृत्यु की इत्तिला प्रथम विराम स्थल पर नही देता है तो मृत्यु की ऐसी घटना का रजिस्ट्रीकरण उस स्थान पर किया जाना चाहिये जहाँ मृतक का दाहकर्म/अन्तिम संस्कार किया जाता है"।**

अतः उपरोक्तानुसार रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही करने हेतु समस्त रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को निर्देशित करें।

भवदीय,

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव